04-3-25

अन्तिम सुनवाई आज नहीं चलना चाहता हूँ।
लाल सिंह,

Identify by:
रुपेश सिंहा
04/03/25

वादी द्वारा अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सुनवाई पश्चात वादी द्वारा अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी द्वारा प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहता है। प्रकरण को इसी स्तर पर डिक्री द्वारा निराकृत किया जावे। वादी के निवेदन पर वादी के द्वारा वाद में आगे कार्यवाही नहीं चाहने पर प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र के साथ से कम होने पर प्रार्थना पत्र अधिवक्ता डिक्री/अभिलेखागार रहे।